8.4.19 पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत मे
पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित/
उत्तरदाता अनुपस्थित। वकील अपीलांट
की बहस सुनी गई। दौराने बहस कहा
गया, कि अपीलांट के पिता कुलवन्ती
स्वरूप वल्द नंदराम की काश्तकारी खातेदारी
खेत खसरा नं० 56 रकबा 21.09 बीघा
स्थित था। स्वरूप के वारिसान मे अपीलांट
एवं हरीया थे। स्वरूप के फौत होने पर
वारिसान के तौर पर अपीलान्ट को छोड़ते हुए
हरीया का नाम दर्ज किया गया। जबकि
हरीया के साथ अपीलांट का भी कब्जा
काश्त चला आ रहा था। हरीया अविवाहित
था। उसकी कोई संतान नहीं थी। अविवाहित
मरे के साथ अपीलांट भी विवादित भूमि

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पर काश्त करती थी। हरिया के फौत होने से पूर्व अपीलांट का कोल्हू साद से शादी हो गई। लेकिन समय २ पर अपीलांट विवादित भूमि पर आती जाती रहती थी। हरिया के फौत होने पर अपीलांट द्वारा सामाजिक रीति - रिवाज का सम्पादन किया गया और अपने चचेरे भाई खेराज वल्द केसरी को कहा गया कि विवादित भूमि से मेरे नाम नामान्तकरण करा देना और उस द्वारा आश्वासन भी दिया गया। लेकिन खेराजराम अपीलांट को धोखे में रखते हुए अपने नाम नामान्तकरण दर्ज किया। जबकि अपीलांट द्वारा अपील करने से पूर्व यही समझती रही, कि विवादित भूमि में उसका नाम दायर हो रखा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि विवादित भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। खेराजराम के बला औलाद फौत होने पर रिकार्ड में उत्तरदाता क्र० २ व ३ के वारिसान के नाम दर्ज है। लेकिन कब्जा अपीलांट का ही है। चूंकि उत्तरदाता क्र० २ व ३ के वारिसान ने अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए इकबालीया जवाब पेश किया गया है अतः अपीलांट की अपील को मन्जूर फरमाकर [illegible] जारी विवादित नामान्तकरण क्र० 60 निरस्त करते हुए अपीलाधीन भूमि में [illegible] अपीलांट का नाम दायर किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं विवादित नामान्तकरण का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। जिससे पाया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश कर, विवादित नामान्तकरण सं० 60 Date 25.10.1975 को निरस्त करवाते हुए, विवादित भूमि मे अपना नाम दायर करवाने हेतु अपील पेश की गई। पत्रावली के संलग्न विवादित नामान्तकरण संख्या 60 का अवलोकन करने पर पाया, कि हरीया वल्द रुघु कौम - भील सा० देह खातेदार के फौत होने पर कालम संख्या 11 मे खेराज वल्द केसरा कौम भील सा० देह खातेदार के नाम विवादित भूमि दायर की गई। जबकि रुघु के वारिस मे हरिया व अपीलांट पाबी थी। हरिया के ला औलाद फौत होने पर अपीलांट का ही नाम दायर होना चाहिए था। लेकिन

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तदनुरूप ऐसा नही किया गया। जो विधि संगत नही है। क्योंकि खेराजराम तो अपीलांट का सगा भाई था। उसका रुपाराम की जमाबंदी खाते मे कोई हक हिस्सा नही था। उक्त तथ्यो को जलापा व चननाराम के वारिसान उत्तरदाता क्र. 2/1 से 2/3 व 3/1 से 3/3 द्वारा इकबालीया जवाब मे स्वीकार किया गया है। साथ ही अपीलांट की अपील के तथ्यो को अपने मौखिक बयानात स्वरूप शपथ-पत्र मे भी स्वीकार किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे विवादित पारित किया गया नामान्तकरण नं० 60 निरस्त किए जाने योग्य है। खेराज के ला औलाद फौत होने पर उसके भाई जलापा व चनणा के नाम नामान्तकरण नं० 111 पारित किया गया। जो वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे उसके वारिसान के नाम दर्ज है। लेकिन विवादित भूमि मे हकदार उत्तरदाता नं० 2 व 3 के वारिसान न होकर अपीलांट है। चूंकि उत्तरदाता क्र० 2 व 3 के वारिसान ने स्वीकार कर, अपीलांट की अपील को स्वीकार किये जाने मे सहमति दी है।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

09/2016 पांजी 45 संरपच ग्रा०पं० डंडाली बनाम

ऐसे नामान्तकरण जो शुरू से ही शून्य एवं निष्प्रभावी हो। ऐसे नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश करने मे म्याद का बिन्दु आड़े नही आता है। एवं मुतवफी खारू की अपीलांट के अलावा और कोई वारिस है या नही, ऐसा कथन अपीलान्ट स्पष्ट साबित नही कर पाया है। इस कारण अदालत अपीलांट की अपील को स्वीकार कर तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित मानती है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद सुनाए कर स्वीकार की जाती है, ग्राम पंचायत डण्डाली के नामान्तकरण नं० 60 पर पारित संरपच ग्राम पंचायत डण्डाली के आदेश दिनांक 25.10.1975 को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशो के साथ, तहसीलदार सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि मूतक खारू वल्द नंदराम के समस्त वारिसान की विधिसम्मत जांच करते हुए, अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण विधिनुसार उनके हक मे पारित करे।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 08/09/17

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी